Website:- www.dipronline.org
email:- projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

जिला आयोजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन 19 मार्च को

झुंझुनू, 12 मार्चः जिला आयोजना समिति के 20 निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए 19 मार्च को निर्वाचन प्रक्रिया जिला परिषद के सभा भवन में प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। पीठासीन अधिकारी जिला आयोजना समिति (निर्वाचन) एवं अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि झुंझुनू में जिला आयोजना समिति के कुल 20 निर्वाचित सदस्य होंगे जिनमें से 16 सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों में उन्हीं के द्वारा चुने जाएंगे। एक सदस्य शहरी क्षेत्र से जिले की नगरपालिकाओं एवं नगर परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों को 16 अभ्यर्थियों के तथा नगर परिषद तथा नगरपालिका के निर्वाचित प्रत्येक सदस्य को एक अभ्यर्थी के चुनाव का मताधिकार होगा। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा कराया जायेगा।

उन्होंने बताया कि समिति की सदस्यता के लिए अंतिम रूप से खड़े होने वाले नाम युक्त मतपत्र (ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग) निर्धारित समय में पीठसीन अधिकारी (चुनाव अधिकारी) द्वारा निर्वाचक को उपलब्ध कराये जायेगें। प्रत्येक निर्वाचक को अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष खाली स्थान में कलम से सही का निशान लगाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के मतपत्र पर 16 से अधिक तथा शहरी क्षेत्र के मतपत्र पर एक से अधिक स्थानों पर सही का निशान लगाने, मतपत्र पर कहीं भी अपना नाम अथवा अन्य पहचान अंकित करने-लिखने तथा अन्य किसी प्रकार से मतपत्र को खराब करने एवं फाडने की स्थिति में मतपत्र खारिज कर दिया जायेगा।

जिला आयोजना समिति के निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुप्त मतदान में पाये गये वैध मतपत्रों की गणना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 16 सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों तथा शहरी क्षेत्र के लिए हुये मतदान में एक सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान संख्या में मत प्राप्त करने पर लॉटरी द्वारा निर्णय किया जायेगा। किसी भी सदस्य को डाक या प्रोक्सी द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि 19 मार्च को 10.30 बजे से 11.30 बजे तक मनोनयन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे और उसके पश्चात दोपहर 12.30 बजे तक मनोनयन पत्रों की जांच की जायेगी तथा अपराह्न 12.30 बजे से 1.30 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे और 2.30 बजे अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो जिला आयोजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपराह्न 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा और मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में 16 दुग्ध विक्रेताओं के नमूने लिये

झुंझुनू, 12 मार्चः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता के निर्देशानुसार दूध में मिलावट की रोकथाम के लिए शुक्रवार को डेयरी, उद्योग, स्वास्थ्य तथा रसद विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा झुंझुनू शहर के गुढ़ा मोड, अग्रसेन सर्किल, पीपली चौक, चूणा चौक व चूरू बाईपास पर प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक की जांच कार्रवाई में 16 दुध विक्रेताओं के नमूने लिये गये हैं।

जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह ने बताया कि गुढ़ा मोड पर उदावास के समुद्र सिंह द्वारा लाये जा रहे दुध की जांच करने पर पानी की मात्रा अधिक पाई गई है जिस पर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत जांच का नमूना लिया गया है। जांच के दौरान दुध विक्रेता समुद्र सिंह अपनी मोटर साईकिल छोड़कर फरार हो गया। मोटर साईकिल को पुलिस के सुपूर्द कर दिया गया है। इसी प्रकार अग्रसेन सर्किल पर लालपुर गांव के लीलाराम स्वामी द्वारा विक्रय करने के लिए लाये जा रहे दूध का नमूना भी लिया गया है। चूणा चौक स्थित गणेश मिष्ठान भण्डार पर भी मिठाई बनाने के कारखाने पर दूध की शुद्धता की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की जांच के दौरान पीपली चौक तथा चूरू बाईपास पर दूध विक्रेताओं ने जांच के भय से दूध को बिखेर दिया। जांच दल में डेयरी के देवीप्रसाद पारीक, स्वास्थ्य विभाग के महेश कुमार तथा खाद्य निरीक्षण अशोक कुमार, उद्योग विभाग से बाट-माप निरीक्षक नानूराम और रसद विभाग से प्रवर्तन अधिकारी सुभाश चन्द्र, प्रवर्तन निरीक्षण रामस्वरूप व क.लि. राजेश कुमार शामिल थे।